राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद संख्या–33 (लो0सू0अ0)/2022–23

श्री कुन्दन कुमार, अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, कटिहार

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
26.07.2022	श्री कुन्दन कुमार, अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, कटिहार के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–16.07.2022 इस कार्यालय में दिनांक–20.07.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–56F 739727 दिनांक–अस्पष्ट संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलार्थी श्री कुन्दन कुमार ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–06.06.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार–सह–सचिव, राज्यपाल सचिवालय के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही अपीलार्थी ने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक– 06.06.2022 की प्रति भी संलग्न किया है। अतः लोक सूचना पदाधिकारी से उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक–06.06.2022 से संबंधित अभिलेख की मॉग करें तथा अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक–12.08.2022 को उपस्थापित करें। सभी संबंधित को सूचित करें। 26/7/2022 **विशेष कार्य पदाधिकारी** **–सह–** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	

अपील वाद संख्या–33/2022–23

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
12.08.2022	लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार लोक सूचना पदाधिकारी ने अपने पत्रांक–आर॰टी॰आई॰/पी॰आर॰एन॰यू॰–60/2022 –180/रा॰स॰(I) दिनांक–05.07.2022 के माध्यम से अपीलार्थी श्री कुन्दन कुमार, अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, कटिहार को उनके प्रपत्र 'क' दिनांक–06.06.2022 के क्रम में सूचना/निर्णय प्रेषित किया जा चुका है। विदित हो कि अपीलकर्त्ता श्री कुन्दन कुमार ने लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने के फलस्वरूप अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपील दायर किया था। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अब जबकि लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना/निर्णय का प्रेषण किया जा चुका है, तब प्रश्नगत अपील वाद में अग्रतर कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित को सूचित करें। विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

अपील वाद संख्या—33/2022—23

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
12.08.2022	लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार लोक सूचना पदाधिकारी ने अपने पत्रांक—आर॰टी॰आई॰/पी॰आर॰एन॰यू॰—60/2022 —180/रा॰स॰(I) दिनांक—05.07.2022 के माध्यम से अपीलार्थी श्री कुन्दन कुमार, अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, कटिहार को उनके प्रपत्र 'क' दिनांक—06.06.2022 के क्रम में सूचना/निर्णय प्रेषित किया जा चुका है। विदित हो कि अपीलकर्त्ता श्री कुन्दन कुमार ने लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने के फलस्वरूप अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपील दायर किया था। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अब जबकि लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना/निर्णय का प्रेषण किया जा चुका है, तब प्रश्नगत अपील वाद में अग्रतर कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित को सूचित करें। 12/8/2022 विशेष कार्य पदाधिकारी —सह— प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

ज्ञापांक— 1083/रा॰स॰(iii) दिनांक—17-08-2022

प्रतिलिपि:— लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/ श्री कुन्दन कुमार, अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, कटिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/8/2022

विशेष कार्य पदाधिकारी

o/c